सं०: एस- 17011/1/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

*****

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 23.06.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य

विषय: आईएमआईएस की शुरूआत जिसके माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थी स्तर के आंकड़े अद्यतन करने की सुविधा दी गई है- के संबंध में।

महोदया/महोदय,

एसबीएम (जी) में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। जब ओडीएफ गांव में कोई मध्यवर्तन शुरू किया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि शौचालय रहित सभी वर्तमान परिवारों को शामिल किया जाए भले ही उनका नाम वास्तविक आधारभूत सर्वेक्षण में छूट गया हो। इनमें से, एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन हेतु पात्र परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाए, और शेष श्रेणियों- अपात्र एपीएल, निष्क्रीय, जिन्हें पहले सहायता दी गई हो- को प्रेरणा दी जाए अथवा अन्य स्रोतों जैसे सीएसआर, ग्राम पंचायत की स्वयं की निधियां, सामुदायिक भागीदारी, स्वच्छ भारत कोष आदि को वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाए।

2. कई राज्यों द्वारा समय-समय पर लाभार्थी स्तर के आंकडे अद्यतन करने के लिए आईएमआईएस की शुरूआत करने के मुद्दों को बार-बार उठाया गया है ताकि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज की वास्तविक स्थिति को दर्शा सकें। एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों में इन आकड़ों को अद्यतन करने का उल्लेख है।

3. उपर्युक्त को देखते हुए आंकड़ों के अद्यतन/सुधार हेतु आईएमआईएस की शुरूआत की गई है। आधारभूत सर्वेक्षण में नहीं आ पाने वाले कुछ परिवारों के कारण उभरने वाली आवश्यकता के रूप में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए राज्यों/ जिलों द्वारा ये अद्यतन किए जा सकते हैं। समाहार/सुधारों में पूरी सावधानी से पात्र मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को

दर्शाया जाए। निष्क्रीय शौचालयों अर्थात् जिन्हें पहले से किसी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है उन्हें पात्र श्रेणी में शामिल न किया जाए।

4. तथापि, यह नोट किया जाए कि एसबीएम (जी) के अंतर्गत जारी कुल निधियां एसएसएससी द्वारा अनुमोदित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीआईपी के अनुसार सीमित होंगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः- 011- 24369654

प्रतिः

1. एसबीएम (जी) राज्य समन्वयक, सभी राज्य
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशकः वैबसाइट पर डालने हेतु।